अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

नारायण सिंह v/s रामसिंह

2021/40

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

श्री मनीष रावत — श्री रोहित सोनी

नारायण बनाम राम सिंह वगैरह (40/2021)

यह पत्रावली अभिभाषक श्री मनीष रावत एडवोकेट के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 01 सपठित धारा 151 जा.दी. पेश करने पर तलब की गई। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र के साथ अपीलांट के आधार कार्ड की प्रति स्वयं के हस्ताक्षर किए हुई प्रति भी प्रस्तुत की है और प्रार्थना–पत्र पर कथन किया कि उक्त अपील में पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना के तहत् न्यायालय के बाहर ग्राम व समाज के मौत बिरान व्यक्तियों की समझाईश से आपसी सहमति होकर लिखित राजीनामा हो चुका है इस कारण अपील में वर्णित भूमियों के सम्बन्ध में पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद शेष नहीं रह जाने के कारण अपील को इसी स्तर पर प्रत्याहरण / विड्रो किये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र पेश किया जा रहा है। किसी भी पक्षकार द्वारा लोक अदालत की भावना के तहत् हुए राजीनामा की शर्तों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन किया जाता है तो अपीलार्थी उक्त अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही किये जाने तथा नवीन अपील प्रस्तुत किए जाने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए उक्त अपील को प्रत्याहरण / विड्रो किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 21 व 28 स्वयं उपस्थित हुए तथा उनकी पहचान उनके अभिभाषक श्री एन.एस.राजावत एवं लक्ष्मण नाथ योगी ने की तथा कथन किया कि यदि अपीलांट द्वारा अपील विड्रो की जाती है तो उनको कोई आपत्ति नहीं है।

अपीलांट एवं अपीलांट अभिभाषक के द्वारा अपील को आगे नहीं चलाना चाहते है और अपील को विड्रो किये जाने का निवेदन किया है, इसलिए अपील विड्रो किए जाने से खारिज करना उचित समझते है।

अतः अपील, अपीलांट द्वारा विड्रो किए जाने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर